रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072024-255149 CG-DL-E-04072024-255149

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2397]

No. 2397]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2024/ आषाढ 11, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2024/ ASHADHA 11, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2024

का.आ. 2527(अ).—भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप—धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4792 (अ), दिनांक 29.10.2021 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन (गुजरात) से नागोथाने मैनुफैक्चरिंग डिविजन (महाराष्ट्र) तक तरल ईथेन के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स रिलायंस इंग्डस्ट्रीज लिमिटेड को समर्पित दहेज—नागोथाने ईथेन पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोशणा की थीं:

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 14.12.2021 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के संबंध में, जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चिय किया है;

3904 GI/2024 (1)

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोशणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है:

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (4) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देभा देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रका ान की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

मंडल / तहसील / तालुका ः भिवंडी	जिला : ठाणे	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे सं/सब डिविजन सं	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर एयर सि–ा		
1	2	3	4	5
1) खालिंग बुद्रुक	111/1	00	09	47
मंडल / तहसील / तालुका : कल्याण	जिला : ठाणे	राज्य : महाराष्ट्र		
1) राये	69/2	00	80	84

[फा. सं. .एल.-14014/184/2021-जी.पी.-II (ई-40749)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

प्रतिलिपि सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड, कॉम्प्रेसर स्टे ान — 08, गाव — वाहोली, पोस्ट — वाहोली, कल्याण मुरबाड रोड, कल्याण — 421301, महाराष्ट्र की उनके पत्र क्रमांक CA/THN/DN/6(1)/69 दिनांक. 22/04/2024 के संदर्भ में अग्रेषित

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2024

S.O. 2527(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 4792 (E) dated 29-10-2021, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying RIL's dedicated Dahej-Nagothane Ethane pipeline for transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Nagothane Manufacturing Division in Maharashtra of M/s Reliance Industries Limited (RIL) by M/s Reliance Ethane Pipelines Limited;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before

14-12-2021;

And whereas no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, have decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in

Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Ethane Pipelines Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluka: Bhiwandi	District : Thane	State	State: Maharashtra		
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to	Area to be acquired for ROU		
		Hec.	Are	C-Are	
1	2	3	4	5	
1) Khaling Budruk	111/1	00	09	47	

Mandal/Tehsil/ Talu	ka: Kalyan	District : Thane	I	State: Maharashtra	
1) Raye	69/2		00	08	84

[F. No. L-14014/184/2021-GP-II (E-40749)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

Cc: 1) Competent Authority, Reliance Ethane Pipelines Limited, Compressor Station-08, Village- Vaholi, Post Vaholi, Kalyan Murbad Road, Kalyan - 421301, Maharashtra w.r.t. letter No: CA/THN/DN/6(1)/69 dated 22/04/2024

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2024

का.आ. 2528(अ).—भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप—धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4689(अ), दिनांक 27.10.2021 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन (गुजरात) से नागोथाने मैनुफैक्चरिंग डिविजन (महाराष्ट्र) तक तरल ईथेन के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स रिलायंस इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड को समर्पित दहेज—नागोथाने ईथेन पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोशणा की थीं;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 14.12.2021 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के संबंध में, जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चिय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोशणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (4) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देभा देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रका ान की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड में निहित होगा।

			_0	
3	1	₹	च	Ī

मंडल / तहसील / तालुका : वाडा	जिला : पालघर	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे सं/सब डिविजन सं	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि–एयर
1	2	3	4	5
1) चिंचघर 474		00	05	09

[फा. सं. .एल.-14014/184/2021-जी.पी.-II (ई-40749)]

रामजीलाल मीना. अवर सचिव

प्रतिलिपि : सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड, कॉम्प्रेसर स्टे ान — 08, गाव — वाहोली, पोस्ट — वाहोली, कल्याण मुरबाड रोड, कल्याण—421301, महाराष्ट्र की उनके पत्र क्रमांक CA/THN/DN/6(1)/68 दिनांक. 22 / 04 / 2024 के संदर्भ में अग्रेषित

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2024

S.O. 2528(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 4689 (E) dated 27-10-2021, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying RIL's dedicated Dahej-Nagothane Ethane pipeline for transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Nagothane Manufacturing Division in Maharashtra of M/s Reliance Industries Limited (RIL) by M/s Reliance Ethane Pipelines Limited;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 14-12-2021;

And whereas no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, have decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Ethane Pipelines Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Wada	District : Palghar	State: Maharashtra		
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for RO		
		Hec.	Are	C-
				Are
1	2	3	4	5
1) Chinchghar	474	00	05	09

[F. No. L-14014/184/2021-GP-II (E-40749)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secv.

Cc: 1) Competent Authority, Reliance Ethane Pipelines Limited, Compressor Station-08, Village- Vaholi, PostVaholi, Kalyan Murbad Road, Kalyan - 421301, Maharashtra w.r.t. letter No : CA/THN/DN/6(1)/68 dated 22/04/2024

अधिसूचना नई दिल्ली, 25 जून, 2024

का.आ. 2529(अ).— भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप—धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4713(अ), दिनांक 27.10.2021 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन (गुजरात) से नागोथाने मैनुफैक्चरिंग डिविजन (महाराष्ट्र) तक तरल ईथेन के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स रिलायंस इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड को समर्पित दहेज—नागोथाने ईथेन पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोशणा की थीं;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 14.12.2021 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के संबंध में, जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुआ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चिय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोशणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (4) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देभा देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रका ान की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड में निहित होगा।

अनसची

	अनुसूया	1		
मंडल / तहसील / तालुका : तलासरी	जिला : पालघर	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे सं / सब डिविजन सं	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		के लिए
		हेक्टेयर	एयर	सि–एयर
1	2	3	4	5
1) ਚਧਕਟ	214	00	04	45
	770	00	02	26
	750	00	00	30
	713	00	06	10
2) वरवाडा	30	00	28	89
	47/3	00	03	09
	45/2	00	03	13
3) वडवली	34	00	02	00
मंडल / तहसील / तालुका : डहाणू	जिला : पालघर	राज्य : महाराष्ट्र		द्र
1) पुंजावे	43	00	03	96
	105	00	19	53

मंडल / तहसील / तालु	का : विक्रमगड जिला : पालध	: पालघर राज्य : महाराष्ट्र		राष्ट्र
1) कोंडगाव	156	00	02	23
2) तळवली	52	00	10	38
	59	00	30	00
	63	00	06	87
	115	00	02	75
3) म्हसरोली	195 20 / 2	00 00	10 00	79 29

मंडल / तहसील / तालुका : वाडा	जिला : पालघर	राज्य : महाराष्ट्र		
1) भोपिवली	24	00	01	66
2) खरीवली तर्फे कोहोज	58/2	00	16	36
	79	00	10	80
1	2	3	4	5
2) खरीवली तर्फे कोहोज (निरंतर)	140	00	02	25

[फा. सं. एल.-14014/184/2021-जी.पी.-II (ई-40749)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

प्रतिलिपि : सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड, कॉम्प्रेसर स्टे ान — 08, गाव — वाहोली, पोस्ट — वाहोली, कल्याण मुरबाड रोड, कल्याण—421301, महाराष्ट्र की उनके पत्र क्रमांक CA/THN/DN/6(1)/66 दिनांक. 22 / 04 / 2024 के संदर्भ में अग्रेषित

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2024

S.O. 2529(E).— Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 4713(E) dated 27-10-2021, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying RIL's dedicated Dahej-Nagothane Ethane pipeline for transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Nagothane Manufacturing Division in Maharashtra of M/s Reliance Industries Limited (RIL) by M/s Reliance Ethane Pipelines Limited;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 14-12-2021;

And whereas no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, have decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Ethane Pipelines Limited, free from all encumbrances.

Mandal/Tehsil/ Taluk: Talasari	District : Palghar	State: Maharashtra			
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to	be acquire	d for ROU	
		Hec.	Are	C-Are	
1	2	3	4	5	
1) Uplat	214	00	04	45	
	770	00	02	26	
	750	00	00	30	
	713	00	06	10	
2) Varvade	30	00	28	89	
	47/3	00	03	09	
	45/2	00	03	13	
3) Vadavali	34	00	02	00	

Mandal/Tehsil/ Talu	ık: Dahanu	District : Palghar	1	State: Maharashtra		
1) Punjave	43		00	03	96	
	105		00	19	53	

Mandal/Tehsil/ Taluk: Vikramgad	District : Palghar]	State: Maharashtra		
1) Kondgaon	156	00	02	23	
2) Talavali Tarf Satkor	52	00	10	38	
	59	00	30	00	
	63	00	06	87	
	115	00	02	75	
3) Mhasroli	195	00	10	79	
	20/2	00	00	29	

Mandal/Tehsil/ Taluk: Wada	District : Palghar	Stat	te: Mahara	shtra
1) Bhopivali	24	00	01	66
2) Kharivali Tarf Kohoj	58/2	00	16	36
	79	00	10	08
1	2	3	4	5
2) Kharivali Tarf Kohoj (Contd)	140	00	02	25

[F. No. L-14014/184/2021-GP-II (E-40749)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

Cc: 1) Competent Authority, Reliance Ethane Pipelines Limited, Compressor Station-08, Village- Vaholi, PostVaholi, Kalyan Murbad Road, Kalyan - 421301, Maharashtra w.r.t. letter No: CA/THN/DN/6(1)/66 dated 22/04/2024

अधिसूचना —े ०८ — ०८

नई दिल्ली, 25 जून, 2024

का.आ. 2530(अ).— भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप—धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4714 (अ), दिनांक 27.10.2021 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन (गुजरात) से नागोथाने मैनुफैक्चरिंग डिविजन (महाराष्ट्र) तक तरल ईथेन के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स रिलायंस इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड को समर्पित दहेज—नागोथाने ईथेन पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोशणा की थीं;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 16.12.2021 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं:

और, पाइपलाइन बिछाने के संबंध में, जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चिय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोशणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है:

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (4) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देभा देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रका ान की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुका :	जिला : रायगड		राज्य : महारा	S
खालापूर				
गाँव का नाम	सर्वे सं/सब डिविजन सं	आर.ओ.यू.	अर्जित करने के वि	लेए क्षेत्रफल
		हेक्टेयर	एयर	सि–एयर
1	2	3	4	5
1) वावंढल	74/2/ए	00	02	30

मंडल/तहसील/तालुका : पेण	जिला : रायगड		राज्य : महाराष्ट्र	
1) पानेड	126	00	03	21
2) तळवली	32	00	01	50
3) बोरगांव	100	00	13	40

[फा. सं. एल.-14014/184/2021-जी.पी.-II (ई-40749)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

प्रतिलिपि : सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड, कॉम्प्रेसर स्टे ान — 08, गाव — वाहोली, पोस्ट — वाहोली, कल्याण मुरबाड रोड, कल्याण—421301, महाराश्ट्र की उनके पत्र क्रमांक CA/THN/DN/6(1)/67 दिनांक. 22 / 04 / 2024 के संदर्भ में अग्रेषित

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2024

S.O. 2530(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 4714 (E) dated 27-10-2021, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying RIL's dedicated Dahej-Nagothane Ethane pipeline for transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Nagothane Manufacturing Division in Maharashtra of M/s Reliance Industries Limited (RIL) by M/s Reliance Ethane Pipelines Limited;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 16-12-2021;

And whereas no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, have decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Ethane Pipelines Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Khalapur	District : Raigad	Stat	e: Maharas	htra
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to	be acquired	l for ROU
		Hec.	Are	C-Are
1	2	3	4	5

1) Vavandhal	74/2/A	00	02	30
--------------	--------	----	----	----

Mandal/Tehsil/ Taluk: Pen	District : Raigad	N	State: Aaharashtra	a
1) Paned	126	00	03	21
2) Talavali	32	00	01	50
3) Borgaon	100	00	13	40

[F. No. L-14014/184/2021-GP-II (E-40749)]

RAMJILAL MEENA, Under Secy.

Cc: 1) Competent Authority, Reliance Ethane Pipelines Limited, Compressor Station-08, Village- Vaholi, PostVaholi, Kalyan Murbad Road, Kalyan - 421301, Maharashtra w.r.t. letter No: CA/THN/DN/6(1)/67 dated 22/04/2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2024

का.आ. 2531(अ).—भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप—धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4778 (अ), दिनांक 29.10.2021 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन (गुजरात) से नागोथाने मैनुफैक्चरिंग डिविजन (महाराष्ट्र) तक तरल ईथेन के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स रिलायंस इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड को समर्पित दहेज—नागोथाने ईथेन पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोशणा की थीं;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 09.12.2021 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के संबंध में, जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चिय किया है; अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोशणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है:

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (4) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देभा देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रका ान की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

मंडल / तहसील / तालुका : कर्जत	जिला : रायगड	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे सं/सब डिविजन सं	आर.ओ.यू. अर्जित	ा करने के लिए ध	तेत्रफल
		हेक्टेयर	एयर	सि–एयर
1	2	3	4	5
1) कोंडिवले	49/11	00	04	20

[फा. सं. .एल.-14014/184/2021-जी.पी.-II (ई-40749)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

प्रतिलिपि : सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड, कॉम्प्रेसर स्टे ान — 08, गाव — वाहोली, पोस्ट — वाहोली, कल्याण मुरबाड रोड, कल्याण—421301, महाराष्ट्र की उनके पत्र क्रमांक CA/THN/DN/6(1)/70 दिनांक. 22 / 04 / 2024 के संदर्भ में अग्रेषित

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2024

S.O. 2531(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 4778 (E) dated 29-10-2021, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying RIL's dedicated Dahej-Nagothane Ethane pipeline for transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Nagothane Manufacturing Division in Maharashtra of M/s Reliance Industries Limited (RIL) by M/s Reliance Ethane Pipelines Limited;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 09-12-2021;

And whereas no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, have decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Ethane Pipelines Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

Mandal/Tehsil/ Taluk: Karjat	District : Raigad	Stat	e: Maharas	htra
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to	be acquired	l for ROU
		Hec.	Are	C-Are
1	2	3	4	5
	-			

[F. No. L-14014/184/2021-GP-II (E-40749)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

राज्य : महाराष्ट्र

Cc: 1) Competent Authority, Reliance Ethane Pipelines Limited, Compressor Station-08, Village- Vaholi, PostVaholi, Kalyan Murbad Road, Kalyan - 421301, Maharashtra w.r.t. letter No: CA/THN/DN/6(1)/70 dated 22/04/2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2024

का.आ. 2532(अ).— भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप—धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2422 (अ), दिनांक 31.05.2023 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन (गुजरात) से नागोथाने मैनुफैक्चरिंग डिविजन (महाराष्ट्र) तक तरल ईथेन के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स रिलायंस इंग्डस्ट्रीज लिमिटेड को समर्पित दहेज—नागोथाने ईथेन पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोशणा की थीं;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 04.01.2024 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं

और, पाइपलाइन बिछाने के संबंध में, जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुआ;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चिय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोशणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (4) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देभा देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रका ान की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

				
मंडल / तहसील / तालुका : कर्जत	जिला : रायगड	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे सं/सब डिविजन सं	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		लिए क्षेत्रफल
		हेक्टेयर	एयर	सि–एयर
1	2	3	4	5
1) देऊळवाडी	44 / 1	00	04	31
	42	00	16	65

जिला: रायगड

मंडल / तहसील / तालुका : खालापूर

1) माडप	20/2	00	00	89
	18	00	00	41
	12/2	00	08	20
	13/1	00	03	27
	13/2	00	11	38

[फा. सं. .एल.-14014/184/2021-जी.पी.-II (ई-40749)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

प्रतिलिपि : सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस ईथेन पाइपलाइन्स लिमिटेड, कॉम्प्रेसर स्टे ान — 08, गाव — वाहोली, पोस्ट — वाहोली, कल्याण मुरबाड रोड, कल्याण—421301, महाराष्ट्र की उनके पत्र क्रमांक CA/THN/DN/6(1)/71 दिनांक. 22 / 04 / 2024 के संदर्भ में अग्रेषित

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2024

S.O. 2532(E).— Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 2422 (E) dated 31-05-2023, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying RIL's dedicated Dahej-Nagothane Ethane pipeline for transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Nagothane Manufacturing Division in Maharashtra of M/s Reliance Industries Limited (RIL) by M/s Reliance Ethane Pipelines Limited;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 04-01-2024;

And whereas no objections were received from the public to the laying of the pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, have decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Ethane Pipelines Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Karjat	District : Raigad	Stat	e: Mahara	shtra
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to	be acquire	d for ROU
		Hec.	Are	C-Are
1	2	3	4	5
1) Devulwadi 4	4/1	00	04	31
4	2	00	16	65

Mandal/Tehsil/ Taluk:	District : Raigad	State:
Khalapur		Maharashtra

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण	13
---	----

1) Madap	20/2	00	00	89
	18	00	00	41
	12/2	00	08	20
	13/1	00	03	27
	13/3	00	11	38

[F. No. L-14014/184/2021-GP-II (E-40749)] RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

Cc: 1) Competent Authority, Reliance Ethane Pipelines Limited, Compressor Station-08, Village- Vaholi, PostVaholi, Kalyan Murbad Road, Kalyan - 421301, Maharashtra w.r.t. letter No : CA/THN/DN/6(1)/71 dated 22/04/2024.